

# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12/03/2025

रजि० नं० 2025/11

प्रवेश तिथि 27.01.2025

अपीलार्थी :- नाहर सिंह यादव, निवासी ग्राम पहाडावास ग्राम पंचायत इकरोटिया तहसील हरसौली जिला खैरथल-तिजारा (राज०)	प्रत्यर्थी :- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०)
---	--

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :- दिनांक 06.02.2025

- 1- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2024 (02.01.2025) प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावें।
- 2- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
- 3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) से जरिये नोटिस क्रमांक 121 दिनांक 27.01.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 06.02.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित हुआ।
- 4- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) ने जर्ज पत्र क्रमांक राजकाज रेफरेन्स संख्या 13331631 दिनांक 31.01.2025 के द्वारा जवाब पेश कर की गयी कार्यवाही की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिससे स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2024 (02.01.2025) में वर्णित सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी है। उक्त क्रम में विधिक प्रावधानों की पालना की गयी है।
- 5- पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) द्वारा सूचना प्रेषित कि गयी है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- 6- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
- 7- आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)  
जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा  
खैरथल-तिजारा (राज०)